झाँसी पुलिस

प्रेस नोट

थाना-सीपरी बाजार, झाँसी

दिनांक- 19.11.2026

थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा अपहृता किशोरी की सकुशल बरामदगी करते हुए दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.11.2026 को वादिया द्वारा थाना सीपरी बाजार पर प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया गया कि दिनांक 06/11/2026 को रात लगभग 01:00 से 01:30 बजे के बीच पाल कालोनी निवासी अभियुक्त वादिया की 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 526/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति (नाम व पता अज्ञात) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर श्रीमती प्रीति सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री प्रिया सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार श्री जय प्रकाश चौबे के नेतृत्व में-

दिनांक 18.11.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए प्रकाश में आए **अभियुक्त नीरज अहिरवार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी भगवन्तपुरा, काली माता मंदिर के पास, थाना सदर बाजार, जनपद झाँसी, उम्र करीब 25 वर्ष** को समय 23:25 बजे मऊरानीपुर तिराहा से भगवन्तपुरा रोड पर करीब 100 कदम आगे थाना सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में धारा 65(1) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्त का विवरण:- नीरज अहिरवार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी भगवन्तपुरा, काली माता मंदिर के पास, थाना सदर बाजार, जनपद झाँसी, उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार श्री जय प्रकाश चौबे,
2. उ0नि0 श्री अनुज सिंह गंगवार चौकी प्रभारी ग्वालियर रोड, थाना-सीपरी बाजार,
3. का 880 विनोद कुमार मिश्रा,
4. का0 1231 दलवीर सिंह,
5. का0 845 योगेन्द्र सिंह थाना सीपरी बाजार.